प्राक्कथन

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के "मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की कर भिन्न खनन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान चयनित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हे पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किया गया था।